प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **04/2024** (अपील सूचना का अधिकार)

जगदीश चन्द्र पिता रामलाल साहु पताः 11/996 ग्लास फैक्ट्री मेन रोड़ उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13/02/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 13.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर भू.माफियाओं व सरकारी कर्मचारी की मिली भगत से फर्जी रजिस्ट्री करने के संबंध में 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/04/24/85–86 दिनांक 19.01.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/04/2024/74 दिनांक 19.01.2024 से निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में सतर्कता अनुभाग से प्राप्त सूचना प्रार्थी को कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 22 दिनांक 03.01.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जा चुकी है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने का श्रम करावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 22 दिनांक 03.01.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर